भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *161

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

सिकुड़ती या लुप्त होती झीलें

***161. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:**

श्री इटेला राजेंदर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देशभर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अतिक्रमण और खराब शासन के कारण अनेक झीलें सिकुड़ रही हैं या लुप्त हो रही हैं जिसके कारण जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, बेंगलुरू और हैदराबाद में भारी नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुख्य निष्कर्षों में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की एक रिपोर्ट शामिल है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर में 697 झीलों में से 518 झीलें लुप्त हो गई हैं या आकार में छोटी हो गई हैं और वर्ष 2004 के बाद से इस स्थिति की तुलना में प्रमुख महानगरीय जल निकायों में भी इसी प्रकार व्यापक अवक्रमण की सूचना मिली है;

(ग) यदि हां, तो, तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"सिकुड़ती या लुप्त होती झीलें" विषय पर दिनांक 30 जुलाई, 2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न संख्या *161 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): जल के राज्य का विषय होने के कारण, झीलों सहित आर्द्रभूमियों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहायता करती है। जल शक्ति मंत्रालय ने 100% केंद्रीय सहायता (संदर्भ वर्ष 2017-18) के साथ केंद्र प्रायोजित योजना "सिंचाई गणना" के तहत 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल निकायों की पहली गणना आयोजित की है। इस गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों के आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण भरने की स्थिति आदि सहित विषय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना एकत्र करके सभी जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित करना है।

जबकि केंद्र और राज्य सरकारें आर्द्रभूमि (झीलों सहित) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सभी संभव उपाए करती हैं, तब भी, विकासात्मक गतिविधियां और मानवजनित दबाव आर्द्रभूमि को प्रभावित करते हैं।

सीएजी रिपोर्ट में उल्लिखित आकलन पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग विभाग, जम्मू और कश्मीर द्वारा तैयार किए गए जल निकायों की एक सूची पर आधारित है, जिसमें 23 मीटर के अनुमानित स्थानिक रिज़ॉल्यूशन वाले एलआईएसएस-III उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया गया है। इस तरह के डेटासेट प्रशासकों और शोधकर्ताओं के लिए प्रारंभिक तकनीकी जानकारी प्रदान करते हैं और प्रकृति से सांकेतिक होते हैं। वे आर्द्रभूमि के स्थायी रूप से विलुप्त होने, सिकुड़ने, अतिक्रमण या अवैध रूपांतरण के निर्णायक साक्ष्य तैयार नहीं करते हैं। रिमोट सेंसिंग डेटा आर्द्रभूमि के जल प्रसार या भूमि आवरण में परिवर्तन को इंगित करता है लेकिन स्वतंत्र रूप से पर्याप्त परिवर्तन स्थापित नहीं कर सकता है। इस तरह के निष्कर्षों के लिए भूमि रिकॉर्ड, केडास्ट्रल मानचित्र, अधिसूचित आर्द्रभूमि सीमाओं, क्षेत्र निरीक्षण और सक्षम अभिरक्षक और प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के साथ तालमेल की आवश्यकता होती है। इसके बाद, जम्मू और कश्मीर सरकार ने बहुत उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी, ग्रिड-आधारित विश्लेषण, क्षेत्र सत्यापन और क्षेत्राधिकार शोधन का उपयोग करके इन्वेंट्री का व्यापक संशोधन

और विस्तार किया है। परिणामस्वरूप, इन्वेंट्री को 1,793 आर्द्रभूमि और जल निकायों में अद्यतन किया गया है। जल निकायों की संशोधित सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने झीलों सहित आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें केन्द्र सरकार द्वारा नीति, विनियामक और कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए संरक्षण और प्रबंधन उपाय शामिल हैं। इससे संबंधित प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 की अधिसूचना जारी की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्त्राव के निर्वहन और स्थायी प्रकृति के किसी भी निर्माण सहित आर्द्रभूमि के गैर-आर्द्रभूमि उपयोग पर रोक लगाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नोडल प्राधिकरणों के रूप में गठित किया गया है।

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वर्तमान में, केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत भागीदारी के आधार पर देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः 'नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इको-सिस्टम (एनपीसीए)' कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में अपशिष्ट जल का अवरोधन, डायवर्जन और उपचार, तटरेखा संरक्षण, झील के सामने विकास, इन-सीटू सफाई अर्थात् गाद निकालना और खरपतवार हटाना, स्टॉर्म जल प्रबंधन, बायोरेमेडिएशन, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, झील का सौंदर्यीकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन, बायो-फेन्सिंग, मत्स्य पालन विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता लाना, सामुदायिक भागीदारी आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। एनपीसीए योजना के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में लगभग 172 आर्द्रभूमि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय शेयर के रूप में लगभग 1170 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(iii) देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाए गए अन्य उपायों में आर्द्रभूमि संबंधी रामसर कन्वेंशन, आर्द्रभूमि संरक्षण

और प्रबंधन में लोगों और हितधारकों की भागीदारी हेतु मिशन सहभागिता और आर्द्रभूमि बचाओ अभियान, रामसर स्थलों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर पहल शामिल है।

(iv) "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में शुरू की गई थी। जून 2025 में, जेएसजेबी 2.0 शुरू किया गया था। जेएसजेबी 2.0 का कार्यान्वयन चक्र 1 जून 2025 को शुरू हुआ और 31 मई 2026 को समाप्त हुआ। इस पहल में कम लागत वाले संरचना जैसे बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट बनाने के लिए सामुदायिक निधि, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी फंड और अन्य का उपयोग किया जाता है, जिनमें स्थानीय सामग्री का उपयोग करके वर्षा जल को एकत्र किया जाता है, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ सके और जल समस्याओं का स्थानीय समाधान हो सके। इस पहल में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), पर ड्रोप मोर क्रोप, मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार घटक जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) और वित्त आयोग अनुदान से अभिसरण वित्तपोषण पर भी बल दिया गया है।

(v) जम्मू और कश्मीर, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपचारात्मक उपायों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

"सिकुड़ती या लुप्त होती झीलें" के संबंध में दिनांक 30.07.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *161 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल निकायों की संशोधित सूची निम्नानुसार है:

श्रेणी	**संख्या**	**अधिकार-क्षेत्र के आधार पर विभाजन**
एक हेक्टेयर से कम आकार वाली आर्द्रभूमि और अतिरिक्त आर्द्रभूमि जैसी विशेषताओं वाली	1,499	वन/वन्यजीव अधिकार क्षेत्र: 574; वन के बाहर: 925
एक हेक्टेयर से अधिक आकार वाली आर्द्रभूमि की उपस्थिति दर्ज की गई	294	वन के भीतर: 113; संरक्षित क्षेत्र: 54; एलसीएमए / डब्ल्यूयूसीएमए: 3; वन के बाहर: 124
कुल संशोधित सूची	**1793**	**–**

अनुलग्नक-II

"सिकुड़ती या लुप्त होती झीलें" के संबंध में दिनांक 30.07.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *161 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य	सुधारात्मक उपाय
जम्मू और कश्मीर	i. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण' का गठन और ज़िला स्तर पर जल निकायों की समन्वित योजना, निगरानी और संरक्षण के लिए 'ज़िला आर्द्रभूमि प्रबंधन इकाइयों' की स्थापना। ii. 'वुलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण' (डब्लूयूसीएमए) द्वारा वुलर झील का संरक्षण और प्रबंधन। iii. 'झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण' (एलसीएमए) द्वारा डल और निगीन झीलों का प्रबंधन। iv. 'वुलर-मानसबल विकास प्राधिकरण' (डब्ल्यूएमडीए) द्वारा मानसबल झील का प्रबंधन। v. वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा होकरसर, हैगम, शल्लाबुघ, सुरिनसर-मानसर और घराना आर्द्रभूमियों सहित पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों का संरक्षण और प्रबंधन। vi. वन विभाग द्वारा नियमित निगरानी और आवास संरक्षण उपायों के माध्यम से रिज़र्व वनों और अन्य वन भूमि में स्थित आर्द्रभूमियों का संरक्षण। vii. फील्ड वेरिफिकेशन के साथ रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके समय-समय पर आर्द्रभूमि की इन्वेंट्री, मानचित्रण और निगरानी करना; साथ ही, जहाँ आवश्यक हो, वहाँ पुनरुद्धार और कैचमेंट संरक्षण उपाय करना। viii. विशेष स्थानों के लिए प्रबंधन योजना तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना; ix. गंभीर रूप से गाद जमा होने वाले क्षेत्रों से चयनित तरीके से गाद हटाना; x. प्राकृतिक धाराओं/नालों को गहरा करना और उनका पुनरुद्धार करना;

	xi. पूल और नेविगेशनल चैनल का निर्माण और उनका रखरखाव करना; xii. चुनिंदा तरीके से खरपतवार हटाना; xiii. जल-पक्षियों के लिए आराम करने और घोंसले बनाने के स्थान विकसित करना; xiv. वॉच टावर बनाना और अवैध शिकार व अतिक्रमण रोकने के उपायों के माध्यम से निगरानी मज़बूत करना; xv. ठोस अपशिष्ट एकत्रित करना और वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान करना; xvi. जल विज्ञान प्रबंधन के माध्यम से जल के अधिक और निम्न प्रवाह के दौरान उसका इष्टतम स्तर बनाए रखना; और xvii. प्रत्येक वर्ष जल-पक्षियों की आबादी का अनुमान लगाना और जैव-विविधता की निगरानी करना। इन उपायों का उद्देश्य आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक अखंडता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखना है।
गोवा	i. जल निकायों की पहचान और पुनरुद्धार: राज्य की योजनाओं और अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत झीलों और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए उनकी पहचान की गई है। ii. गाद निकालना और सफाई: जल भंडारण की क्षमता और जल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जमा हुई गाद, खरपतवार और अपशिष्ट को हटाना। iii. बंड और फीडर चैनलों को मजबूत करना: जल के प्राकृतिक बहाव को बहाल करने और जल को रोके रखने के लिए मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाता है। iv. अतिक्रमण से सुरक्षा: राजस्व विभाग (जिला कलेक्टर), पंचायत/नगर पालिका और अन्य संबंधित अधिकारियों के सहयोग से झील की सीमाओं और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जाती है। v. प्रदूषण नियंत्रण: जल निकायों में अपशिष्ट निर्वहन को रोकने के लिए स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाए रखा जाता है। vi. सामुदायिक भागीदारी: संरक्षण और रखरखाव की गतिविधियों में

	भाग लेने के लिए स्थानीय समुदायों और हितधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है। vii. निगरानी: समय पर आवश्यक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण जल निकायों का समय-समय पर निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है।
कर्नाटक	i. कर्नाटक में अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 41,849 झीलें हैं। इनमें से 15,854 झीलों पर कब्ज़ा पाया गया था और उनमें से 10,155 झीलों से कब्ज़ा हटा दिया गया है। ii. उपर्युक्त प्रक्रिया की देखरेख के लिए कर्नाटक सरकार के स्तर पर 'अपर मुख्य सचिव (आय)' की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति गठित की गई है और इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक ज़िले में उपायुक्त की अध्यक्षता में ज़िला-स्तरीय समिति बनाई गई है।
तेलंगाना	तेलंगाना सरकार ने आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए तेलंगाना वन विभाग को नोडल एजेंसी निर्दिष्ट किया है। तेलंगाना वन विभाग, इन नियमों के तहत उन्हें अधिसूचित करने के लिए इनकी पहचान और सीमा निर्धारण के काम में अन्य विभागों के समन्वय से कार्य कर रहा है। ' आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत अधिसूचना के लिए तेलंगाना राज्य सरकार को 28 प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट घोषित करने के लिए भारत सरकार को भी प्रस्ताव भेजे गए हैं।
